न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या 01/2023

अपीलार्थी

श्री संजय पुत्र श्री शंकरलाल निवासी एच.जी. स्कूल रोड मानपुर, तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोंडेन्ट

1. श्री शंकरलाल पुत्र श्री रामाजी जाति लौहार निवासी एच.जी. स्कूल रोड मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री जितेन्द्र पुत्र श्री शंकरलाल जाति लौहार निवासी कमला नेहरू हॉस्पीटल के पास, मकान नं. 4 मसूरिया जोधपुर।
3. श्री दिनेश पुत्र श्री शंकरलाल जाति लौहार निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
4. श्री नरेश पुत्र श्री शंकरलाल निवासी एच.जी. स्कूल रोड मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

उपस्थिति :

1. श्री भगवतसिंह देवड़ा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री वीरेन्द्र एम. चौहान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 27.03.2024**

अपीलार्थी ने यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16 के तहत उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा मुकदमा संख्या 01/2023 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2023 के विरूद्ध दिनांक 21.06.2023 को प्रस्तुत की, जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र एम. चौहान ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या चार की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवड़ा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी अपने स्वयं के परिवार के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट संख्या एक, अपीलार्थी की माता पवनीदेवी व रेस्पोडेन्ट संख्या चार का भरण पोषण करता है एवं वर्तमान में भी अपीलार्थी के साथ ही निवास करते है। इस बिन्दु पर गौर न करके मातहत न्यायालय ने आदेश पारित कर कानूनी एवं वाकयाती भूल की है। अपीलार्थी के पास भूखण्ड जिसमें वह कबाड़ का व्यवसाय करता है, [illegible] माता पवनीदेवी के नाम से है, जिसमें दो कमरे, हॉल व रसोई बनी हुई है, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या एक, माता पवनीदेवी, अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या चार निवास करते है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या एक के भरण पोषण, दवाई, सेवा व चिकित्सा सुविधा भी करता है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या एक अपीलांट को हैरान, परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र मातहत न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो विधि में पोषणीय नहीं है। इसके बावजूद भी मातहत न्यायालय ने आदेश पारित किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने मातहत न्यायालय में दो पुत्रों श्री जितेन्द्र कुमार व श्री दिनेश को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाकर कानूनी भूल की है, इस बिन्दु पर भी मातहत न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 01/2023 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2023 को अपास्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र एम. चौहान द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि धारा 16(1) अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में मात्र व्यथित वरिष्ठ नागरिक अथवा अभिभावक ही अपील कर सकता है अन्य कोई भी व्यक्ति किसी भी दशा में अपील करने का अधिकारी नहीं है। उक्त अपील में उन व्यक्तियों को भी पक्षकार बनाया गया है, जो मूल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं थे, इसलिए कानूनन उन व्यक्तियों को अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, जिनके विरूद्ध मातहत न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल में बतौर पक्षकार कोई कार्यवाही नहीं की गई हो अथवा उनका नाम बतौर पक्षकार मातहत न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल की मूल पत्रावली में नहीं हो। इसलिए जब मातहत न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन का नाम ही नहीं है तो उन्हें किसी भी दशा में अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है और न ही कानूनन अपील में उनके विरूद्ध कोई आदेश अथवा निर्णय ही पारित किया जा सकता है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने के. राजू बनाम भारत संघ व अन्य, 2021 AIR (Madras) 72 में स्पष्ट अवधारित किया है कि जब अधिनियम में स्पष्ट उल्लेखित है कि वरिष्ठ नागरिक व अभिभावकों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति अपील कर ही नहीं सकता तो अन्य व्यक्ति अथवा व्यथित पक्षकार द्वारा किसी भी दशा में अपील नहीं की जा सकती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या चार द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिली के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थित नहीं दी गई। पूर्व में भी कई मौके दिए जाने के उपरान्त उनका जवाब/दस्तावेज पेश करने का अवसर बन्द किया गया एवं न ही इनके द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्री शंकरलाल का भरण पोषण नहीं होने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भरण पोषण दिलवाए जाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा संख्या 01/2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 28.03.2023 को आदेश पारित किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को रूपए 4000/- प्रतिमाह रेस्पोडेन्ट संख्या एक को भरण पोषण के रूप में दिए जाने का आदेश दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

की धारा 16(1) के तहत प्रस्तुत की है, जिसमें यह उल्लेखित है कि अधिकरण के आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थिति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता–पिता ही आदेश की तारीख से साठ दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उनके पिता रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्री शंकरलाल के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्ट्या माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के तहत परिपोषणीय प्रतीत नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1299/2011 जयराज बनाम जिला कलक्टर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2011 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने के. राजू बनाम भारत संघ व अन्य, 2021 AIR (Madras) 72 रिट पिटिशन संख्या 29988/2019 निर्णय दिनांक 19.02.2021 में भी यह माना है कि अधिकरण के आदेश के विरूद्ध केवल पीडित वरिष्ठ नागरिक या उसके संरक्षक द्वारा ही अपील की जा सकती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन को भी पक्षकार बनाया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र में इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था, जबकि कानूनन उन व्यक्तियों को न्यायालय की अनुमति के बिना अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, जिनके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में बतौर पक्षकार कोई कार्यवाही नहीं की गई हो अथवा उनका नाम बतौर पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण की मूल पत्रावली में नहीं हो। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक का भरण पोषण, दवाई व चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाता है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के भरण पोषण, दवाई व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में किया गया कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अपीलार्थी स्वयं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा अपने पिता रेस्पोडेन्ट संख्या एक की जमीन का उपयोग अपने व्यापार के लिए किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:43 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner